राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत ...
दिनांक .....

20/6/16 पमवली राजस्व लोक अदालत शिविर मे पेश हुई। वादीगण ने उप० होकर प्रार्थना प्रस्तुत किया कि हमारा प्रतिवादीगण से समझौता हो गया है। इस दावा को चलाना नहीं चाहते है। अतः वादीगण के प्रार्थना के आधारपर दावा बावत घोषणा, खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, भूमि विभाजन, एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाती है। पमवली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय शिविर में उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner